कालू राम **बनाम** विनोद कुमार आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 77 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/294

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.03.025	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/36 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.052 हेक्टैयर में से अप्रार्थी विनोद कुमार के नाम दर्ज 0.033 हैक्टेयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी स्वंय न्यायालय में उपस्थित आया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/36 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.052 हेक्टैयर में से अप्रार्थी विनोद कुमार के नाम दर्ज 0.033 हैक्टेयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	